न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 44/2021

दायर दिनांक – 26.12.2018

निर्णय दिनांक – 23.01.2023

जीसीएमएस नं0 – 2019/00016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. श्री नेमीचन्द पुत्र स्व0 श्री अर्जुन जाति रेगर निवासी रेगरान मोहल्ला, बडी बस्ती, पुष्कर जिला अजमेर।		1. श्री राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर। 2. तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर। 3. उप–पंजीयक, पुष्कर जिला अजमेर। 4. नगरपालिका,पुष्कर जरिये अधिशाषी अधिकारी।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति– 1. श्री फिरोज मो0, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री पैरोकार सरकार तहसीलदार, पुष्कर, अजमेर।

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर में स्थित खसरा नंबर 758 पुराने खसरा नंबर 223 के लिए पेश किया है। उक्त आराजी पर प्रार्थी अपने पूर्वाधिकारियों के समय से बाहैसियत मालिक काबिज है और सम्पति का निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात के उत्तर दिशा की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 स्थित है तथा उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग व प्रार्थी की आराजीयात के मध्य भूमि खसरा नंबर 222 वर्तमान खसरा नंबर 756 व 760 स्थित है। श्रीमान् जिला कलक्टर अजमेर द्वारा अपने आदेश क्रमांक/राजस्व/एफ12(सी)/2437/45/98/108 दिनांक 03.07.1998 के द्वारा कतिपय

23.01.23
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

खसरों सहित ग्राम पुष्कर के खसरा नंबर 222 रकबा 01–16–00 वर्तमान खसरा नंबर 756, 760 को नगरपालिका पुष्कर को हस्तांतरित करने के आदेश पारित किये थे। अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, पुष्कर द्वारा श्रीमान् ज़िला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 03.07.1998 व तहसीलदार, अजमेर के पत्र दिनांक 14.07.1998 की अनुपालना में निर्धारित पूंजीगत मूल्य राशि 209 रूपये दिनांक 27.07.1998 को ज़रिये चालान राजकीय कोष में जमा करवा दिये गये थे। उक्त भूमि खसरा नंबर 222 विश्राम स्थली के लिए नगरपालिका पुष्कर को हस्तानान्तरण की गई थी, जिसका उपयोग भी जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 03.07.1998 के अनुसार किया जाना अपेक्षित था। परंतु उक्त भूमि का उपयोग विश्राम स्थली के लिए नहीं किया जाकर उस पर अवैध रूप से कब्जा करवाया जा रहा है, जो कि पूर्णतया जिला कलक्टर अजमेर के आदेशों की अवहेलना है। अतः खसरा नंबर 756 व 760 के रहन, बैय, बेचान, अतिक्रमण, अतिचार, परिवर्तन आदि नहीं किये जाने बाबत् जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा व व्यादेश से निरोधित फरमाये जाने की आज्ञप्ति पारित फरमाये।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को ज़रिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में पैरोकार सरकार द्वारा पत्रांक/तह.पुष्कर/कोर्ट/2021/05 दिनांक 03.01.2022 के तहत जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिसे मूल पत्रावली में शामिल मिसल किया गया। पैरोकार सरकार के जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन है कि प्रार्थना–पत्र के बिंदु संख्या 10 में साबिक खसरा नंबर 222 के जवीन खसरा नंबर 756 व 760 पर कब्जे संबंधी कथन किया जबकि खसरा नंबर 756 व 760 अन्य लोगों की खातेदारी में दर्ज है। शेष बिंदुवार कथन प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें तथा न्यायालय से संबंधित होने का कथन किया है। अप्रार्थी सं0 04 को जवाब प्रार्थना–पत्र हेतु पर्याप्त एवं समुचित अवसर दिये जाने के बाद दिनांक 23.01.2023 को जवाब बन्द की कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने प्रार्थी अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार की उपस्थिति में बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों यथा – प्रार्थना–पत्र, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों, पैरोकार सरकार का जवाब प्रार्थना–पत्र, अंतिम बहस के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र का निस्तारण निम्न प्रकार किया जाता है :–

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u> – रिकॉर्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार श्रीमान् जिला कलक्टर अजमेर के आदेश पत्रांक/राजस्व/एफ12(सी)/2437/45/98/108 दिनांक

23.01.23

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

03.07.1998 के अनुसार ग्राम पुष्कर के सिवायचक खसरा नंबर 222 रकबा 01–16–00 बीघा भूमि को विश्राम स्थली के लिए नगरपालिका, पुष्कर के नाम हस्तांतरित करने के आदेश दिये। जिसकी अनुपालना में नगरपालिका, पुष्कर द्वारा दिनांक 27.07.1998 को उक्त भूमि के लगान का 40 गुना पूंजीगत मूल्य राशि 209 रूपये जरिये चालान राजकीय कोष में जमा करवाये गये। कालांतर में उक्त भूमि का नगरपालिका, पुष्कर के नाम नामांतरण नहीं खुलने से नगरपालिका, पुष्कर के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं हो सकी। दस्तावेजी साक्ष्य यथा कमिश्नर रिपोर्ट एवं अंतिम चौसाला आधार संवत् 2068–2071 के अनुसार खाता सं0 29 के खसरा नंबरान 756 रकबा 0.24 हैक्ट0, 760 रकबा 0.05 हैक्ट0 भूमि वर्तमान में निजी खातेदारी में अंकित होना प्रमाणित होता है तथा किसी राजकीय संस्था तथा प्रार्थी स्वयं के नाम दर्ज होने बाबत् कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में उक्त भूमि के निजी खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाये गये। अतः राजस्व अभिलेख, पैरोकार सरकार का जवाब प्रार्थना–पत्र एवं अंतिम बहस के आधार पर प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

<u>सुविधा का संतुलन</u> – चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण में निर्णित तथ्यों के अनुसार सुविधा का संतुलन प्रार्थी के विरूद्ध होना पाया गया है। प्रार्थी श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के आदेशों की पालना करवाने एवं वांछित अनुतोष प्राप्त करने हेतु सक्षम स्तर पर अपील कर सकता है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

<u>अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त</u> – प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है एवं रिकॉर्डेड खातेदार को प्रार्थी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से प्रार्थी के पक्ष में यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। अतः अपूरणीय क्षति का सिद्धांत प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

अतः अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाये जाने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

23.01.23

सुखाराम पिपलेल
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)
(आर0ए0एस0)